राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3488/2025

महेन्द्र कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2025
आदेश की दिनांक : 25.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खराना, जमवारामगढ़ जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर वर्तमान पदस्थापित विद्यालय में पदस्थापन किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 24.12.2024 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती से अध्यापक ग्रेड–III के पद पर हिन्दी माध्यम के विद्यालय में हुई थी। अपीलार्थी का अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के लिए आयोजित की गई विशेष प्रक्रिया के तहत वर्ष 2022 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ढाणी किशना पटेल, बस्सी, जयपुर में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए बाल वाटिकाओं के लिए पदस्थापित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.04.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को हिंदी माध्यम की स्कूल में प्रतिवर्तन करने के लिए विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के आधार पर कार्मिकों का परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश की अनुपालना में अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम की स्कूल में प्रतिवर्तन करने के लिए अपीलार्थी ने दिनांक 10.12.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन मय विकल्प

पत्र प्रस्तुत किया गया। लेकिन अपीलार्थी के अभ्यावेदन एवं विकल्प पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम की स्कूल में प्रतिवर्तन चाहता है लेकिन प्रत्यर्थी विभाग बिना कारण से अपीलार्थी का प्रतिवर्तन नहीं करवा रहा है और न ही अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी को पूर्व विद्यालय से अधिशेष कर बिना चयन प्रक्रिया अपनाए ही वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पदस्थापित किया गया है, जो अनुचित एवं मनमाना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.04.2023 की अनुपालना में अपीलार्थी के अभ्यावेदन को स्वीकार कर अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष